रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-24112022-240524 CG-DL-E-24112022-240524

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5224]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 23, 2022/ अग्रहायण 2, 1944 NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 23, 2022/ AGRAHAYANA 2, 1944

No. 5224]

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

शद्धिपत्र

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2022

का.आ. 5453(अ).—जबिक सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा, क्रमांक का.आ. 3055(अ) दिनांक 05 जुलाई 2022, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3 ए की उप धारा (1) के तहत जारी किया गया (1956 का 48) (इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित), केंद्र सरकार ने महबूबनगर-चिंचोली सड़क खंड के पक्के कंधों के साथ 2/4 लेन को चौड़ा करने के लिए उक्त अधिसूचना से जुड़ी अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि का अधिग्रहण करने की अपनी मंशा की घोषणा की। तेलंगाना राज्य में ईपीसी मोड पर एनएच-167एन (पैकेज-1) के कि.मी. 0.000 से कि.मी. 47.200 तक एतद्वारा ऐसी भूमि का अधिग्रहण करने के अपने इरादे की घोषणा करता है।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् एडिशनल कलेक्टर(रेवेन्यु) महबूबनगर को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

7800 GI/2022 (1)

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।

अनुसूची

तेलंगाना राज्य के महबूबनगर जिले में एनएच-167एन पैकेज-1 के महबूबनगर-चिंचोली रोड खंड के कि.मी. 0.000 से कि.मी. 47.200 (एडिशनल कलेक्टर राजस्व, महबूबनगर) तक भूमि के खंड में एनएच-167एन गिरने वाली संरचनाओं के साथ या बिना अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।

उपरोक्त प्रकाशित राजपत्र अधिसूचना में भूमि का प्रकार और भूमि की प्रकृति गलत है उल्लिखित। इसलिए, अब भूमि के प्रकार और भूमि की प्रकृति को दिए गए हल के रूप में पढ़ा जा सकता है।

राज्य: तेलंगाना						जिला: महबूबनगर					
	सर्वेक्षण संख्या	3ए राजपत्र अधिसूचनाम दिनांक 05/07/2022 को प्रकाशित (के लिये)			सर्वेक्षण	राजपत्र अधिसूचना में अब संशोधन किया जाएगा (पढ़ना)					
क्रम सं		भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृत	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्ट में)	संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृत	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्ट. में)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
मंडल: महबूबनगर(अर्बन) गाँव: महबूबनगर											
1	33` सड़क	निजी	सूखा / गैरकृषि	0.2225870	33` सड़क	सरकार	सूखा / गैरकृषि	0.2225870			
2	925	सरकार	सूखा / गैरकृषि	0.8347010	925	पट्टा	सूखा / गैरकृषि	0.8347010			
3	934	निजी	सूखा / कृषि	0.6009850	934	निजी	सूखा / गैरकृषि	0.6009850			
4	एनएच- 167	निजी	सूखा / गैरकृषि	0.3004920	एनएच- 167	सरकार	सूखा / गैरकृषि	0.3004920			
5	रेलवे लाइन	निजी	सूखा / गैरकृषि	0.1558110	रेलवे लाइन	सरकार	सूखा / गैरकृषि	0.1558110			
6	सड़क	निजी	सूखा / गैरकृषि	0.1001640	सड़क	सरकार	सूखा / गैरकृषि	0.1001640			

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS CORRIGENDUM

New Delhi, the 23rd November, 2022

S.O. 5453(E).—Whereas by the notification of the Governemnt of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number **S.O.** 3055(E) dated 05th July 2022, published in Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3, Sub-section (ii) issued under sub section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956(48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquired the land specified in the Schedule annexed to the said notification for widening to 2/4 lane with paved shoulders of Mahabubnagar-Chincholi road section of NH-167N from Km. 0.000 to Km. 47.200 of Package-1 on EPC mode in the state of Telangana. Hereby declares its intention to acquire such land.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Additional Collector(Revenue) Mahabubnagar in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and

after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH-167N in the stretch of land from Km. 0.000 to Km. 47.200 (Additional Collector Revenue, Mahabubnagar) of Mahabubnagar - Chincholi road section of NH-167N Package-1 in the district of MAHABUBNAGAR in the state of TELANGANA.

In the above published Gazette Notification Type of Land and Nature of Land are incorrectly mentioned.

Therefore, now the Type of Land and Nature of Land may be read as given below:

State : Telangana District : Mahabubnagar												
Sl. No.	Sy. No	As published in 3A Gazette S.O. 3055 (E) dt:05.07.2022 (FOR)				Gazette Notification to be amended now (READ)						
		Type of Land	Nature/Category of Land	Area in Hec.	Sy.No	Type of Land	Nature/Category of Land	Area in Hec.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	Mandal: Mahabubnagar(Urban) Village: Mahabubnagar											
1	33` Road	Private	Dry/Non Agriculture	0.2225870	33` Road	Government	Dry/Non Agriculture	0.2225870				
2	925	Government	Dry/Non Agriculture	0.8347010	925	Patta	Dry/Non Agriculture	0.8347010				
3	934	Private	Dry/Agriculture	0.6009850	934	Private	Dry/Non Agriculture	0.6009850				
4	NH-167	Private	Dry/Non Agriculture	0.3004920	NH-167	Government	Dry/Non Agriculture	0.3004920				
5	Railway Line	Private	Dry/Non Agriculture	0.1558110	Railwa y Line	Government	Dry/Non Agriculture	0.1558110				
6	Road	Private	Dry/Non Agriculture	0.1001640	Road	Government	Dry/Non Agriculture	0.1001640				

[F. No. EE/NH/KKY/NH167/MC Road/LA/3a/Bhoomirasi/2021/3A Corr.]

RAJESH GUPTA, Director